न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 70/2014 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2014/00130

1. श्रीमति सुमन पुत्री स्व. सतनाम चन्द गांधी धर्मपत्नि श्री नरेश भूतना जाति अरोड़ा निवासी 266 निवोबा बस्ती श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती निशा पुत्री स्व. सतनाम चन्द गांधी धर्मपत्नि श्री विमल कपूर जाति अरोड़ा निवासी मकान नं. 8 गली नं. 7 सेतिया फार्म श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार गांधी पुत्र सतनाम चन्द गांधी निवासी श्रीगंगानगर एड्रेस राजधानी रेडियों 103–104 रेल्वे स्टेशन रोड, श्रीगंगानगर।
2. सुशील कुमार गांधी पुत्र सतनाम चन्द गांधी निवासी श्रीगंगानगर एड्रेस राजधानी रेडियों 103–104 रेल्वे स्टेशन रोड, श्रीगंगानगर।
3. श्रीमति कैलाश देवी धर्मपत्नि स्व. सतनाम चन्द गांधी निवासी 218 मुखर्जी नगर श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नन्द किशोर गांधी अभिभाषक अपीलांट
श्री नायब सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3

निर्णय

दिनांक 16.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/19 के मु. न 32 के किला नंवर 5/0.08, 6/1.00, 15/1.00, 16/1.00, 25/1.00 कुल 4 वीघा 8 विस्वा नहरी भूमि व रास्ता 20×82.5 फुट जो मु.न 32 के किला नंबर 5 में है की भूमि की वसीयत दिनांक 30.05.07 को श्री सतनामचंद ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पक्ष में कर दी। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने उक्त वसीयत दिनांक 30.05.2007 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिनांक 01.05.2012 पारित किया। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट 1 ता 2 रिश्ते में भाई बहन है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.05.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर दिनांक 02.05.2012 के द्वारा स्व. सतनाम चन्द की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कृषि भूमि का इंतकाल जिस वसीयत के आधार पर दर्ज करने का आदेश दिया गया है वो गलत व फर्जी अनरजिस्टर्ड वसीयत है। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर लेण्ड रूल्स के मुताबिक इंतकाल कानेनन दर्ज व तस्दीक नही किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थाल भू–राजस्व नियम 1957 के रूल 131 व 132 की कोई पालना नही की है और न ही Validity of the Will की कोई इनक्वायरी ही की गई है। कानून का माना हुआ है कि कोई भी इंतकाल दर्ज करने को आदेश तमाम हितबद्ध व्यक्तियों को व वारिसारन को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले हाजा में तो मृतक की पत्नी तक कोई नोटिस व सूचना दिये ही जो इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया हैं वे गलत, अनुचित व विधि विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय इंतकाल दर्ज करने से पूर्व ना ही नोटिस जारी किए गए ओर अन्य भूमि के बारे में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है और उक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 24.02.2012 को समाचार पत्र दैनिक सीमा किरण में प्रकाशित हुई उसमे उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें प्रार्थीगण का एड्रेस केवल मुकर्जी नगर श्रीगंगानगर अंकित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है उसमें उक्त भूमि का कोई अंकन नहीं है बल्कि चक 1 जैड में स्थित कृषि भूमि मु. न. 49,55,32,45 की कुल 13 बीघा 1 बिस्वा के संबंध में वसीयत होना व प्रार्थीगण का एड्रेस 218 मुकर्जी नगर अंकित किया गया हैं, उक्त अंकन का आधार पत्रावली में कोई वजूद नही है। जिस भूमि के संबंध में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया है उसके लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा कोई किसी प्रकार का आवेदन ही नहीं किया गया है। सतनाम चन्द मृतक के वारिसारन अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 है। सतनाम चन्द की चक 1 जैड के मु. न. 47 रकबा 1.128 हैक्टयर व मु.न. 48 रकबा 2.189 हैक्टयर कुल 3.317 हैक्टयर कृषि भूमि थी। जो विरासत के आधार पर उसके समस्त वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। तथाकथित वसीयत सतनाम चन्द के द्वारा तहरीर व तकमील करवाई हुई नहीं है ओर वो सिर्फ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा महज सतनाम चन्द की कृषि भूमि को तन्हा हडप करने के लिए तेयार करवाई हुई गलत व फर्जी वसीयत हैं उक्त वसीयत पर सतनाम चन्द के हस्ताक्षर नही हैं। ऐसी वसीयत की सत्यता पर सही तौर पर गोर किये बिना ही उसके आधार पर जो इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो हर तरह से काबिल निरस्त किये जाने के है। उक्त वसीयत माने जाने योग्य नही है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1998 एससी 2861, डीएनजे 2013 एसरी 62, आरआरडी 1995 पेज 27, एआईआर 2001 राजस्थान 338, एआईआर 1990 एससी 1742 का हवाला दिया गया। उक्त विवादित भूमि सतनाम चन्द की स्व अर्जित सम्पति नही है और उसकी जददी जायदाद अर्थात पैतृक सम्पति है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं तमाम वारिसान के नाम से इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उक्त वादगत भूमि की वसीयत दिनाक 30.05.2007 को श्री सतनाम चन्द अपने जीवन काल में रेस्पोडेनट संख्या 1 ता 2 के हक में कर गए है। उक्त वसीयत सतीशचन्द गर्ग नोटेरी पब्लिक श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

31.05.2007 को तस्दीक की गई। उक्त वसीयत संजीव नागपाल पुत्र श्रीचंद नागपाल जाति अरोड़ा निवासी श्रीगंगानगर उवं दिनेश भूतना पूत्र श्री मिलखराज भूतना निवासी श्रीगंगानगर के समक्ष लिखी जाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पिता का देहांत दिनांक 16.01.2012 को हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 वसीयत के आधार पर उक्त जमीन पर मालिक व काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या ने उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करवाने और पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश दिये गये। उक्त प्रकरण में दैनिक समाचार में प्रकाशन एवं पटवारी रिपोर्ट ली गई और अपीलांट को भी अधीनस्थ न्यायालय ने सुना है। वसीयतनामा कें अंकित गवाहों ने वसीयतनामा उनके सामने लिखा जाना स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पिता सतनाम चन्द ने उक्त वादगत भूमि 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि महेन्द्रकुमार देवीलाल किशोरचंद पि. मोतीराम कुम्हार से क्रय की गई जिसका नामांतरकरण संख्या 279 दर्ज होकर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.05.2003 को स्वीकृत किया गया इस प्रकार उक्त वादगत भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि थी। किसी व्यक्ति को अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत करने पूर्ण अधिकार होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2012 यथावत रखा जावें और अपील अपीलांट निरस्त की जावें।

4–हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर, हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करके और आपत्ति प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को सुनकर दर्ज किया हैं जो एक विधिक प्रक्रिया है। तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 01.05.2012 वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया और न ही किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित इंतकाल दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2012 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 16.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर